


59

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5

क्रमांक : ए.1(4)94/89/पार्ट V
दिनांक : 10 मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ए.1(4)94/89/पार्टV/2091 दिनांक 22.02.2022 के क्रम में निगम कार्मिकों का विवरण डीओआईटी विभाग द्वारा आरजीएचएस पोर्टल पर लिंक कर प्रारम्भ किया जा चुका है। जिन कार्मिकों ने अब तक आरजीएचएस कार्ड की प्रति/विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है, को निर्देशित किया जाता है कि आरजीएचएस में शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन करवाकर, आरजीएचएस कार्ड की फोटोप्रति एचआरडी प्रकोष्ठ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे जिससे निगम द्वारा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें ताकि आरजीएचएस कार्ड के तहत मेडिकल सुविधा प्राप्त की जा सकें।


(बिन्दु करुणाकर)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि:

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
 2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
 3. समस्त इकाई प्रभारी
 4. उप महाप्रबन्धक (आईटी) - उक्त परिपत्र को सीको वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
 5. न्यास सचिव, सीपीएफ ट्रस्ट
 6. प्रबंधक, बिल्स
 7. कार्यालय आदेश पत्रावली
 8. नोटिस बोर्ड
- को भेजकर लेख है कि आपके प्रकोष्ठ/इकाई में कार्यरत कार्मिकों को उक्त आदेश की पालना करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि को भी :

1. वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
2. वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय
3. निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक महोदय